भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5236

उत्तर देने की तारीख : 02.04.2025

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए नीतियां/कार्यक्रम

5236. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम कौन-कौन से हैं जिन्हें विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए तैयार किया गया है;

(ख) कार्यान्वयन की निगरानी करने और उक्त कार्यक्रमों की लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) सरकार देश में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को पेश आ रही विशिष्ट चुनौतियों से किस प्रकार निपट रही है;

(घ) अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कौशल और शिल्प का संरक्षण और संवर्धन किस प्रकार किया जा रहा है; और

(च) अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रहे भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख) सरकार अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है, ये योजनाएं पूरे देश में लागू की जाती हैं। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएँ

i. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
iii. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

छात्रवृत्ति योजनाओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनआईसी द्वारा प्रबंधित) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जो एक निरंतर विकसित होने वाला मंच है। छात्रवृत्ति भुगतान डीबीटी मोड के तहत आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) के माध्यम से किया जाता है ताकि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच सके।

2. रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएं

i) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)

ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी): यह देश भर में स्वरोजगार आय सृजन पहलों के लिए रियायती ऋण प्रदान करके अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के बीच "पिछड़े वर्गों" के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सावधि ऋण, सूक्ष्म वित्त, शिक्षा ऋण और विरासत योजनाओं को लागू करता है। एनएमडीएफसी की योजनाओं को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन, पंजाब ग्रामीण बैंक और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से लागू किया जाता है।

अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, एनएमडीएफसी नियमित रूप से देश भर में लक्षित समूहों पर एनएमडीएफसी वित्तपोषण के उचित उपयोग और प्रभाव का आकलन करने के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष संगठनों/एजेंसियों को शामिल करके "लाभार्थी सत्यापन" और "प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन" संचालित करता है। एनएमडीएफसी के अधिकारी लाभार्थियों से बातचीत के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य प्रशासन का दौरा भी करते हैं।

3. अवसंरचना विकास योजना

i) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके): "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" (पीएमजेवीके) एक केंद्र प्रायोजित योजना है और शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल और आपूर्ति, स्वच्छता और खेल जैसे क्षेत्रों में देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना के निर्माण के लिए मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना का उद्देश्य उस विशेष क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना भी शामिल है।

पीएमजेवीके के तहत परियोजनाओं पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर विचार किया जाता है और उन्हें मंजूरी दी जाती है। मंत्रालय को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना, स्वीकृत परियोजनाओं का निष्पादन और पूर्ण परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है।

(ग) और (च): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM), मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना एनसीएम अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी। अपने कार्य के हिस्से के रूप में, यह अल्पसंख्यकों की याचिकाएं प्राप्त करता है और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए उपयुक्त अधिकारियों/राज्य सरकारों के समक्ष उठाता है। इसके अलावा, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, एनसीएम के माननीय अध्यक्ष और सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें करते हैं। इसके अलावा, समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले

मुद्दों पर चर्चा करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एनसीएम अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ 'सर्व धर्म संवाद' भी संचालित करता है।

(घ) और (ङ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कौशल और शिक्षा योजनाओं को लागू कर रहा है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत करती है और कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं की उद्यमिता और नेतृत्व; और स्कूल ड्रापआउट्स के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करती है।

पीएम विकास से पहले, मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल' और 'उस्ताद' योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया था, जिन्हें अब पीएम विकास योजना में मिला दिया गया है। 2020-21 के बाद उक्त पूर्ववर्ती योजनाओं के तहत कोई नया लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया।

इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण और उनमें प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

i) सीखो और कमाओ (SAK) योजना, जिसे 2013-14 में शुरू किया गया था, का लक्ष्य अल्पसंख्यक युवाओं (14-45 वर्ष) के कौशल को उनकी योग्यता, मौजूदा आर्थिक रुझानों और बाजार की संभावनाओं के आधार पर विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना था, जिससे उन्हें उपयुक्त रोजगार मिल सके या वे स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बन सकें। शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना के तहत लगभग 4.68 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

ii) नई मंजिल योजना 2015 में शुरू हुई थी, और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचाना था, जिनके पास स्कूल छोड़ने का औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है। इस योजना ने औपचारिक शिक्षा (कक्षा आठवीं या दसवीं) और कौशल का संयोजन प्रदान किया और लाभार्थियों को बेहतर रोजगार और आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाया। शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना के तहत 98,712 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

iii) उस्ताद और हमारी धरोहर योजना इस योजना को 2015 में लक्षित क्षमता निर्माण और कुशल कारीगरों के पारंपरिक कौशल के उन्नयन के लिए शुरू किया गया था। शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना के तहत लगभग 21,611 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

iv) **नई रोशनी** अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 2012-13 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान, साधन और तकनीक प्रदान करके सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना था। शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना के तहत 4.35 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID) और भारतीय पैकेजिंग संस्थान (IIP) को डिजाइन हस्तक्षेप, उत्पाद रेंज विकास, पैकेजिंग, प्रदर्शनियों और ब्रांड निर्माण आदि के लिए विभिन्न शिल्प समूहों में काम करने के लिए नियुक्त किया है।

हुनर हाट और लोक संवर्धन पर्व जैसी मंत्रालय की पहलों का उद्देश्य आमजन के बीच योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना और अल्पसंख्यक पारंपरिक कारीगरों को उनके उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के माध्यम से उत्थान के अवसर प्रदान करना है। 2015 से अब तक, मंत्रालय द्वारा देश भर में ऐसे 43 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

योजनाओं का विस्तृत विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

*****